विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 244 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 नवंबर 2011 से 12 दिसंबर 2011

धूमिल छवि सुधारने के लिए बदल दी सरकार की सूरत

• बाबूलाल नागा •

कहते हैं जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। ऐसी ही बांसुरी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले तीन वर्ष से बजा रहे हैं। उनके नेतृत्व वाली सरकार के सिपहसालार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कारनामें करते रहे। अपनी ही सरकार की नैया डूबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्रियों पर अपराध, भ्रष्टाचार सहित अवैध संबंधों के आरोप लगते रहे। इन सबके बीच अशोक गहलोत आंखें मूंद और जुबां सील कर सब कुछ देखते रहे। सरकार की छवि तो पहले ही धूमिल हो चुकी है। बहुचर्चित भंवरी देवी प्रकरण, गोपालगढ़ कांड और पारसदेवी मामले में सरकार की काफी किरकिरी हुई है। अपनी छवि सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ने आनन फानन में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर अपने सभी मंत्रियों और संसदीय सचिवों से इस्तीफा लिखवा लिए। पांच मंत्रियों को हटाने के बाद छह नए मंत्री तथा सात और संसदीय सचिव बनाकर सरकार की सूरत बदल दी।

दरअसल, पिछले कुछ महीनों में कई प्रकरणों के चलते राज्य सरकार को काफी बदनामी उठानी पड़ी। भंवरी देवी की गुमशुदगी एवं उसके साथ रंगरेलियां करते पाए जाने पर कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस चर्चित प्रकरण में स्वयं अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी जाते जाते बची है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस प्रकरण के मामले की जांच को लेकर सरकारी रवैए पर कड़ी नाराजगी जताई थी। हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी कमजोर सरकार इतिहास में कभी नहीं देखी। यदि काम नहीं कर सकते तो छोड़े और चले जाए। इसी तरह राजस्थान हाईकोर्ट ने ही एक अन्य मामले में कहा कि खान माफिया का बस चले तो वे हाईकोर्ट को ही खोद डालें। इसी तरह 14 सितंबर 2011 को गोपालगढ़ की घटना, जिसमें एक मस्जिद के सामने पुलिस गोलीबारी में निर्दोष 10 मेव मुसलमानों की जान चली गई, मामले में भी सरकार की काफी बदनामी हुई। विवाद मस्जिद के लिए आवंटित जमीन का था। मामले को शुरू में हलके तरीके से लिया गया और बाद में सरकार का जो रुख रहा उसने मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इस कांड में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग प्रशासनिक कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा कर चुका है। भीलवाड़ा में पारस देवी की मौत के मामले को लेकर सवालों के घेरे में आए तत्कालीन वन व खनन राज्यमंत्री रामलाल जाट को भी 12 नवंबर 2011 को मंत्री पद से अपना इस्तीफा देना पड़ा। राज्य में खाली पड़े विभिन्न संवैधानिक पदों को लेकर भी राजस्थान हाईकोर्ट को सरकार को नोटिस देना पड़ा। महिला एवं जनसंगठनों की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार के अल्पसंख्यक आयोग, बाल अधिकार आयोग, निशक्तजन आयोग, महिला आयोग, एसटी एससी आयोगों में पिछले लंबे समय से अध्यक्ष व सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने खाली चल रहे अध्यक्षों व सदस्यों के पदों पर छह महीनों में नियुक्तियां करने के आदेश राज्य सरकार को दिए।

इन सब हालातों के चलते व सरकार पर निरंतर हो रहे हमलों से बचने के लिए मुख्यमंत्री ने अपना पैंतरा बदला। फैसले लेने की रफ्तार बढ़ाते हुए सबसे पहले मंत्रिमंडल से मंत्रियों के इस्तीफे लिए। बाद में नए मंत्रिमंडल का गठन किया। पिछले दिनों तमाम आयोगों व अन्य पदों पर धड़ाधड़ नियुक्तियां की गईं। मुख्यमंत्री ने सरकार के चेहरे को साफ सुधरा दिखाने की कवायद की है। तीन वर्ष के शासन में मुख्यमंत्री अपने परिजनों सहित भ्रष्टाचार के आरोप झेल चुके हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों में से एक भी ऐसा मंत्री नहीं बचा हुआ है, जो किसी न किसी आरोप में लिप्त नहीं रहा हो। मंत्रियों के ऐसे कारनामें सामने आते रहे हैं जिनकी वजह से सरकार को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सरकार के 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल में आधा दर्जन मंत्री भ्रष्टाचार के घेरे

जारी

इस अंक में...

- धूमिल छवि सुधारने के लिए बदल दी सरकार की सूरत
- इरोम शर्मिला बचाओ अभियान
- सियासत में सेक्स, हर बार महिलाओं को चुकानी पड़ी कीमत
- इसलिए मनाया जाता है महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा
- सवालों के घेरे में अन्ना कोर कमेटी
- बाल दिवस मना कर अपनी पीठ थपथपाना ही काफी नहीं
- खूबियां और खामियां, आशा और निराशा जगाती तस्वीर
- 250 रुपए में एनओसी, 900 रुपए में नल कनेक्शन
- शिक्षक जनगणना करेंगे तो पढ़ाई......
- टीबी के मामलों में आई कमी

में हैं। मंत्रीपद से हटाए गए पूर्व मोटर गैराज मंत्री भरोसी लाल जाटव पर दो मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री व वर्तमान में खादी और ग्रामोद्योग और डेयरी राज्यमंत्री बाबूलाल नागर पर प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश से जांच चल रही है। पर्यटन मंत्री बीना काक पर अफार्डेबल हाउस योजना में अपने पुत्र को नियम विरुद्ध ठेका दिलाने का आरोप लगा है तो राजस्व, उपनिवेशन व जल संसाधन मंत्री हेमाराम चौधरी पर अपने निजी सचिव की भूमि का नामांतरण मात्र दो सप्ताह में करने का आरोप है। सहकारिता एवं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री परसादीलाल मीणा पर अपने विभाग के तीन दागी अधिकारियों को बचाने का आरोप है। पूर्व शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल पर तबादलों में भ्रष्टाचार के आरोप सार्वजनिक रूप से कई बार लग चुके हैं। गृहमंत्री शांति धारीवाल के पास से तो दिल्ली हवाई अड्डे पर अवैध रूप से ले जाए जा रहे कारतूस तक बरामद हो चुके हैं। हालांकि एक मंत्री अमीन खां को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के प्रति अपनी टिप्पणी के कारण कुर्सी गंवानी पड़ी थी लेकिन दूसरे मंत्रियों पर गहलोत किसी तरह का अंकुश लगाने में नाकाम ही रहे हैं। ऐसे में इन मंत्रियों की वजह से राजस्थान सरकार की कार्यक्षमता पर कई सवाल उठे हैं। यहां तक की स्वयं मुख्यमंत्री पर भी जल महल लीज प्रकरण के साथ साथ भ्रष्टाचार के और भी आरोप लगे हैं। अब सवाल यह है कि मंत्रिमंडल के इस फेरबदल के बाद भी मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलताओं के साथ साथ अपने दागी मंत्रियों के दाग कितनी हद तक साफ कर पाएंगे। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 244 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 नवंबर 2011 से 12 दिसंबर 2011

इरोम शर्मिला बचाओ अभियान

• रेणुका पामेचा •

इरोम शर्मिला पिछले 11 सालों से उपवास कर रही हैं। उनकी मांग है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षा बलों को दिए गए विशेषाधिकार कानून को वापस लिया जाए। बड़ी जीवट वाली हैं इरोम। 5 नवंबर 2011 को उनके उपवास के 11 साल पूरे हो गए। इस दौरान न तो देश के मीडिया ने उनकी तरफ ध्यान दिया। ना ही हमारे देश के नेताओं ने उनसे बात करना उचित समझा। यहां तक कि उन्हें दिल्ली या अन्य राज्यों में जाकर अपनी मांग को जन तक पहुंचाने का हक भी नहीं दिया गया। इस पर भी इरोम ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। कुछ साल पहले वे और उनके समर्थक अपने राज्य से निकलने में कामयाब हुए। तब से ही देश में उनके समर्थन में जनमत बनना शुरू हुआ। मीडिया का ध्यान भी इरोम की तरफ गया। मुख्यधारा समाचार पत्रों में उनके बारे में प्रमुखता से लिखा गया।

देश के अनेक मानवाधिकार और जनसंगठनों ने इरोम शर्मिला बचाओ अभियान चलाया है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से लेकर हजरत बल श्रीनगर तक एक जागरूकता यात्रा आयोजित हुई है। 2 से 10 दिसंबर तक राष्ट्रीय स्तर का हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन 10 दिसंबर को दिल्ली में शर्मिला को बचाने की मांग को लेकर मेधा पाटकर, अरुणा रॉय जैसी कई जानी मानी हस्तियां उपवास पर बैठेंगी।

इरोम को जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है उसमें एक साल तक अंदर रखा जा सकता है। चूंकि उन्होंने अपना उपवास तोड़ने से मना कर दिया। इस कारण उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया। इस दौरान उन्हें नाक से जबरन पोषण दिया जाता है। यह समय बाद में बढ़ता जाता है। पत्रकारों से बात करते हुए शर्मिला ने इस बात पर गहरी निराशा जाहिर की कि शर्मिला बचाओ अभियान के प्रतिनिधियों को यहां आने की इजाजत नहीं दी गई। ये लोग जम्मू, दिल्ली व अन्य राज्यों से इंफाल आ रहे थे। सरकार की यह दोहरी नीति है। वह किसी को तो इजाजत देती है और किसी को नहीं देती है। शर्मिला ने कहा सरकार नागरिक संगठनों से घबराती है। मुंबई में कई लोगों ने इरोम शर्मिला की मांग को सरकार द्वारा मानने के लिए प्रदर्शन किया। ये आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। शर्मिला अहिंसात्मक आंदोलन की मिसाल है। उनके महत्व को कम करने के लिए सरकार उनसे मिलने की इजाजत नहीं देती है। 12 सालों तक उपवास के कारण अब उनका वजन 35 किलो ही रह गया है। शर्मिला का इतना लंबा उपवास लोकतंत्र पर धब्बा है। लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यह कितने शर्म की बात है कि सरकार व राजनीतिज्ञों ने शर्मिला की मांग पर 11 वर्ष से कोई ध्यान ही नहीं दिया।

अभियान ने यह मांग रखी कि सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल को इरोम से मिलना चाहिए। सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। सैनिक कानून की ज्यादतियों का मूल्यांकन करना चाहिए और इस कानून को रद्द करना चाहिए। शर्मिला ने प्रधानमंत्री के असंवेदनशील रवैए पर दुख जताया है। उन्होंने 4 नवंबर 2000 को उस समय उपवास किया जब सेना ने 10 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी थी। तब से वे 1958 के इस खतरनाक कानून को समाप्त करने की मांग करती रही हैं और उपवास पर है। जे एम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक कमरे में तब से ही उन्हें नजरबंद करके रखा है। इस कक्ष को जेल बना दिया गया है। उन्हें जबरन नाक से कुछ पोषण दिया जा रहा है। वे सारे समय पढ़ती रहती हैं। कुछ अखबारों के लिए लिखती हैं। कविताएं लिखती हैं। कई देशों ने उनके इस त्याग को देखकर उन्हें कई सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिए हैं।

मणिपुर के मुख्यमंत्री का कहना है लोगों के विरोध को देखते हुए प्रायोगिक तौर पर सरकार ने इंफाल के सात विधानसभा क्षेत्रों से यह कानून हटाया था किंतु इसका नतीजा अच्छा नहीं रहा। वहां से दुबारा इस कानून को लागू करने की मांग आती रही है। एक तरफ इरोम शर्मिला के समर्थकों का कहना है कि इरोम इस देश की नागरिक है। अतः अन्याय के खिलाफ उन्हें सुना जाना उनका भी हक बनता है। अभियान की मांग हैः

- भारत सरकार इरोम शर्मिला के साथ संवाद की शुरुआत करे।
- भारत सरकार इस क्षेत्र की परिस्थितियों का आंकलन करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे।
- जुल्मों की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राष्ट्रीय महिला आयोग से कराए। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 244 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 नवंबर 2011 से 12 दिसंबर 2011

सियासत में सेक्स, हर बार महिलाओं को चुकानी पड़ी कीमत

• आशीष महर्षि •

सियासत में जब जब शराब और शबाब मिली, तब तब बवाल मचा। रेतीले प्रदेश राजस्थान में भी इन दिनों एक ऐसा ही बवंडर आया हुआ है। किस किस को यह बवंडर अपनी चपेट में लेगा, देखना बाकी है। जिस वीरों की भूमि में कभी वीर रस की कविताएं गूंजा करती थीं। आज वहां भंवरी–मदेरणा की सेक्स गाथा कही जा रही है। सियासत पहली बार शर्मसार नहीं हुई है। पहले भी कई सियासत नंगी हुई तो अवाम शर्मसार हुई लेकिन इन औरतखोर नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। हर बार कीमत उस जिस्म को ही चुकानी पड़ी, जिसके नशे में सियासतन मदमस्त होकर सियासत करते रहे। राजस्थान का मामला भले ही नया हो लेकिन राजनीति में शराब और शबाब के साथ सेक्स की परंपरा बरसों से हिंदुस्तानी सियासत में चली आ रही है। जब जब सेक्स और सियासत की कोकटेल सामने आई, हंगामा मचा।

हमारे महान ग्रंथों से लेकर महाकाव्यों तक में हर बार कीमत महिलाओं ने ही चुकाई है। यकीन नहीं होता है तो सतयुग से त्रेतायुग तक चले जाइए। मसलन रामायण की सीता को देख लीजिए। महाभारत की कुंती, दौपद्री पर नजर डाल लीजिए। सृष्टि के रचयिता माने जाने वाले ब्रह्म और ज्ञान की देवी सरस्वती के संबंध पर नजर दौड़ा लीजिए। हर बार भोगना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही पड़ा। महिला आंदोलन में एक थ्यौरी बड़ी प्रचलित है। ट्रेपिंग इन इमोशनल। यानी एक महिला की भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए उसे अपने चंगुल में फंसाना। आइए ऐसे ही कुछ मामलों पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी भी सेक्स स्कैंडल में फंसे थे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके नारायण दत्त तिवारी का रंग रसिया रूप देश की जनता ने कई बार देखा है। पिछली बार, तिवारी सेक्स स्कैंडल के कारण खूब चर्चा में रहे। आधे घंटे तक एक तेलुगू चैनल पर जब तिवारी की कथित रासलीला का प्रसारण किया जा रहा था तो इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनी गई। इस क्लिप में एक बूढ़ा जिस्म तीन महिलाओं के साथ अपनी हवस की आग बुझाता हुआ दिखा। कहा गया कि यह और कोई नहीं, बल्कि नारायण दत्त तिवारी हैं। 85 साल के तिवारी का नाम इससे पहले भी कई दफा कई महिलाओं के साथ जुड़ा। जम्मू व कश्मीर के युवा मुख्यमंत्री उमर अब्दुला भी सेक्स स्कैंडल में फंस चुके हैं। हालांकि बाद में वे पाक साफ निकले। मामला 2006 के एक सेक्स स्कैंडल का है। श्रीनगर पुलिस ने जब सबीना नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। नतीजा मुख्यमंत्री के साथ कई पूर्व मंत्री और आला अधिकारी इस सेक्स स्कैंडल में फंसे। पूरे राज्य में कोहराम मचा। कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें राज्य के दो पूर्व मंत्री समेत एक आईएएस अधिकारी, एक डीआईजी एवं दो डीएसपी शामिल थे।

ऐसा ही कुछ पिछले लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड अभिनेत्री और सपा की उम्मीदवार जयाप्रदा के साथ हुआ। बरसों तक बड़े परदे पर अपने हुस्न का जलवा दिखा चुकीं जया उस वक्त रो पड़ीं, जब उन्होंने अपने ही अश्लील पोस्टर रामपुर में देखे। रामपुर उनका संसदीय क्षेत्र है। रामपुर की गलियों से निकलकर ये पोस्टर दिल्ली तक की राजनीति में बवाल मचाया। जया की आंखों में आंसू तक आए। इल्जाम बागी नेता आजम खान पर लगा। यह बात खुद जया ने कही। वैसे मीडिया में अक्सर जया और अमरसिंह के संबंधों को लेकर भी छीटाकशी होती रहती है। जयाप्रदा कहती हैं कि राजनीति में यदि आए हैं तो दाग तो लगेंगे ही।

एक कवयित्री के साथ मंत्री का अमरप्रेम अपनी कविताओं ने कइयों के दिल पर राज करने वाली मधुमिता की उसके घर पर ही गोलीमार कर हत्या कर दी गई। घटना मई 2003 की है। लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी ने उस दिन गोलियों की आवाज सुनी थी। जब लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो चौंकाने वाली खबर बनना लाजिमी थी। मधुमिता गर्भवती थी। शक की सुई तत्कालीन सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी की ओर मुड़ी। लखनऊ की जनता के साथ अब पूरा देश दोनों के संबंधों को जान चुका था। हत्या के पीछे वजह यह बताई गई कि मधुमिता–अमरमणि त्रिपाठी के संबंधों के कारण वह गर्भवती हो गई थी लेकिन अमरमणि नहीं चाहते थे कि वह मां बने। मधुमिता अपनी जिद पर अड़ी थी। अंत में मधुमिता को गोली मार दी गई। फिलहाल अमरमणि जेल में हैं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री आनंद सेन की जिंदगी में भी एक लड़की आई। वह लॉ की स्टूडेंट शशि थी। शशि अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आनंद सेन के करीब होती गई। शशि चाहती थी कि वह विधानसभा का चुनाव लड़े और लखनऊ की विधानसभा में बैठे। शार्टकट के रूप में उसने आनंद सेन को चुना। शशि के पिता खुद एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। आनंद सेन ने भी उसकी आंखों में बसे इस ख्वाब को देख लिया था। फिर शुरू हुआ वायदों का दौर। वायदे बढ़ते गए, जिस्मानी दूरियां मिटती गईं। 22 अक्टूबर 2007 को शशि गायब हुई। लंबी छानबीन और धड़पकड़ के बाद पता चला कि वह इस दुनिया से जा चुकी है। उसकी हत्या हो गई है। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 244 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 नवंबर 2011 से 12 दिसंबर 2011

इसलिए मनाया जाता है महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा

• सुदर्शन भारद्वाज •

महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दौरान जिस तरह महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ रही है या भेदभाव हो रहा है उसकी जानकारी लोगों को दी जाती है। एक महिला के एक मानव के रूप में जो अधिकार हैं उन अधिकारों की बात की जाती है। आज चूंकि महिलाओं का दायरा घर से बाहर तक फैल गया है। वह हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। महिलाओं को उतनी ही ज्यादा हिंसा भी झेलनी पड़ रही है। स्कूलों, कार्यस्थल पर, बसों में, बाजारों में एवं सबसे सुरक्षित जगह उसका अपना घर, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां वह अपने को सहज महसूस करती हो।

महिलाओं की ऐसी ही अनगिनत समस्याओं को लेकर वर्ष 1991 में महिला कार्यकर्ताओं का एक समूह एक वैश्विक अभियान चलाने के लिए एकत्र हुआ। इस समूह में 20 देशों की 23 महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसका आयोजन न्यूजर्सी में सेंटर फॉर विमेन ग्लोबल लीडरशिप की ओर से किया गया। उनका विचार था कि वे केवल थ्योरी, चर्चा या संवाद तक सीमित नहीं रहेंगी। यह अभियान कार्रवाई उन्मुख होगा। जिसके परिणामस्वरूप लिंग आधारित भेदभाव के विरोध में एक 16 दिवसीय अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 25 नवंबर से 10 दिसंबर की अवधि तय की गई। यह अवधि तय करने

विश्व में महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा

- पूरे विश्व में हर तीन महिलाओं में से एक के साथ पिटाई, सेक्स के लिए जबरन मजबूर किया जाना या किसी अन्य तरह दुर्व्यहार किया जाता है। ऐसे कार्यों में उसके पति या परिवार के अन्य पुरुष भी शामिल रहते हैं।
- अपने जीवन काल में पांच में से एक महिला बलात्कार की शिकार होती है।
- प्रसव काल के दौरान चार में से एक महिला को दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। जो मां एवं उसके बच्चे को खतरे में डालता है।
- लिंग भेदभाव को कम करने वाले कानून लागू नहीं किए जाते हैं।
- एक सौ तीन मिलियन यानी तेरह करोड़ महिलाओं के जननांग काटने जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा है।
- सम्मान के खातिर हजारों महिलाओं को हर साल मुख्य रूप से पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कुछ भागों में अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है।
- हर साल आधा मिलियन यानी पांच लाख महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान हो जाती है।
- प्रायः लिंग भेदभाव करने वाले अपराधी दंडित नहीं किए जा पाते।
- हर साल लगभग आठ लाख लोग अवैधानिक रूप से एक देश से दूसरे देश में ले जाए जाते हैं। इसमें से अस्सी प्रतिशत महिलाएं या लड़कियां होती हैं जिनको देह व्यापार के लिए भेजा जाता है। *(स्त्रोत : ऑक्सफैम कनाडा)*

के पीछे इस अवधि के दौरान आने वाली चार महत्वपूर्ण तिथियां थीं। 25 नवंबर 1960 तीन मिराबल बहनें डोमिनिक राज्य के तानाशाह द्वारा प्रताड़ित की गईं जो जेंडर हिंसा की शिकार हुई थीं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में एड्स से सर्वाधिक महिलाएं ही प्रभावित रही हैं। 6 दिसंबर 1991 के दिन कनाडा देश के मांट्रियाल शहर में 14 लड़कियों की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहीं थीं। 10 दिसंबर का दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता हैं। इस संदर्भ में उनका विचार था कि सबसे अधिक महिलाओं के ही मानव अधिकारों का हनन होता है।

21वीं सदी के दौरान यह महसूस किया गया था कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रही है। लिंग आधारित भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना एवं महिलाओं की आर्थिक अधीनता ने पूरे समाज में विकराल रूप ले लिया है। इन्हीं विषमताओं को दूर करने के लिए वर्ष 1993 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने साधारण सभा में महिला हिंसा को रोकने के लिए घोषणा की। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा ''महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति हो'' संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने वक्तव्य में कहा ''कोई भी कार्य जो लिंग के आधार पर भेदभाव करता हो, या ऐसा होने की संभावना हो, या मनोवैज्ञानिक रूप से मानसिक

जारी

हानि पहुंचाता हो, या महिला को परेशान करता हो, धमकी जो हिंसा का ही एक रूप है, बलात्कार, या स्वतंत्रता से वंचित करना, चाहे वह सार्वजनिक या व्यक्तिगत जीवन की हो।'' ऐसी हिंसा महिलाओं के साथ हर जगह पर होती है। यह हिंसा उसके जन्म लेने के पहले से शुरू होती है और उसके मरने के बाद ही रुकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अनुमान के अनुसार लड़कों की चाह में लगभग 60 मिलियन (6 करोड़) लड़कियां कालकवलित हो चुकी हैं।

17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें 25 नवंबर को ''संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा समाप्ति दिवस'' के रूप मनाने का निर्णय लिया गया। मिराबल बहनों को याद करते हुए 25 नवंबर का दिन रखा गया है। इसी दिन डोमिनिक राज्य की तीन बहनें पैट्रिया, मिनर्वा एवं मारिया तरेसा जिनकी उम्र क्रमशः 36, 33 एवं 25 वर्ष थी की हत्या कर दी गई थी। ये राजनीति कार्यकर्ता थीं। इनकी हत्या के बाद ट्रुजिलो जो कि डोमिनिक राज्य का तानाशाह था। उसके विरोध में ऐसा आंदोलन चला कि उसके कुशासन का अंत हो गया। उस समय मिराबल बहनें अंतरराष्ट्रीय प्रतीक बन गई जो लिंग भेदभाव की शिकार हुई थीं।

यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा की में लिया गया। साधारण सभा ने आशंका जाहिर की कि लगातार हिंसा महिलाओं के सामाजिक समानता, कानूनी सहायता, राजनीतिक एवं आर्थिक अवसर पाने में स्थाई रूप से बाधक है। सभा का आग्रह था कि सरकारें, संबंधित विभाग, सामाजिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, निजी क्षेत्र या अन्य सभी को मिलकर इस समस्या को उठाना है और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्ति के इस काम में योगदान देना है।

आज पूरे भारत देश में महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा मनाया जाने लगा है। महिला संगठन एवं मानवाधिकार संगठनों के साथ ही प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ध्यान भी इस तरफ गया है। वे अपने स्तर पर इस संबंध में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। भारत के हर शहर एवं गांव में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, वह किसी भी तरह की हो, उसमें वृद्धि हो रही है। यह समस्या भयावह रूप ले रही है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य हो गया है कि इस समस्या से निपटने के लिए हम एकजुट हों चाहे वह महिला, पुरुष, बच्चे हों या वृद्ध हों। हमें यह तो दृढ़ निश्चय करना ही है कि सबसे पहले हम इसे अपने आस पास से शुरू करेंगे। तभी हम सही मायने में इस तरह की सामाजिक समस्या से निपट पाएंगे। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 244 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 नवंबर 2011 से 12 दिसंबर 2011

सवालों के घेरे में अन्ना कोर कमेटी

• भंवर मेघवंशी •

अन्ना हजारे के सहयोगी विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहे हैं। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को चला रही कोर कमेटी के सदस्यों पर दिन प्रतिदिन लग रहे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाकर जांच करवाने का फैसला किया गया है। अजीब बात है कि जिन पर आरोप लग रहे हैं वे ही तय कर रहे हैं कि कौन उनकी जांच करेंगे।

इस सर्कस की सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि सब कुछ ये लोग 120 करोड़ जनता के नाम खुद ही कर लेते हैं जैसे कि इन्होंने एक अत्यंत अव्यावहारिक और संविधान से भी ऊपर का भस्मासुर बनाया है जिसका नाम जनलोकपाल रखा और अब अपने इस प्रोडक्ट को सर्वश्रेष्ठ बता बताकर मार्केट में बेचते फिर रहे हैं। इनकी मांग यह है कि इन्होंने अपनी मनमर्जी से जो जनलोकपाल अधिनियम बनाया है उसे अक्षरशः शीतकालीन सत्र में पारित कर दिया जाए अन्यथा वे सत्तारुढ़ कांग्रेस को धूल में मिला देंगे। इस अभियान को चलाने के लिए उन्होंने एनएसी की तर्ज पर आरएसी बनाया। अब सुनते हैं कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अंदर जन शब्द जोड़कर राष्ट्रीय जन सलाहकार परिषद भी बनाने जा रहे हैं। जैसे कि जनपाल (जनलोकपाल) इन्होंने बनाया। अब इनको भला कौन समझाए कि जब जन लिख दिया तो लोक लिखने की क्या जरूरत है? पर ये कोर कमेटी जो न करे वह थोड़ा ही है। इन दिनों यह कोर कमेटी आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों से जूझ रही है। नैतिकता और ईमानदारी के घोड़े पर सवार होकर भ्रष्टाचार को भगाने निकले इन शूरवीरों की कोर कमेटी के वर्किंग ग्रुप के लगभग सभी सदस्य आरोपों के घेरे में हैं। खुद हजारे का हिंद स्वराज ट्रस्ट भी देश के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीबी सावंत द्वारा आरोपित किया जा चुका है। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि हजारे ने ट्रस्ट के खाते से 2 लाख रुपए का दुरुपयोग अपना जन्मदिन मनाने के लिए किया है। एक अत्यंत ईमानदार माने जाने वाले पूर्व नौकरशाह जीआर खैरनार ने भी हजारे के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में आए सरकारी संसाधनों व कर्मचारियों का निजी उपयोग किए जाने की बात कही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी हजारे को नोटिस भेजा गया है। कोर कमेटी के एक प्रमुख व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जिन्होंने सूचना के अधिकार आंदोलन में महती भूमिका निभाई है। उनके संगठन परिवर्तन से जब बियोन हेडलाइंस के कर्ताधर्ता अफरोज आलम साहिल ने सूचनाएं मांगी तो उन्होंने यह जवाब दिया कि हम सूचना के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आते हैं। साहिल का कहना है कि उन्हें मांगी गई सूचनाएं नहीं मिल पाईं।

हाल ही में यह भी उजागर हुआ कि केजरीवाल आयकर उपायुक्त के पद से इस्तीफा दिए बगैर अनुपस्थित चल रहे हैं तथा उन पर आयकर विभाग का 9 लाख रुपया बकाया है। बड़ी ही हील हुज्जत के बाद अततः उन्होंने इस रकम का चैक प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। वैसे भेजना तो आयकर विभाग को था मगर प्रधानमंत्री को भेजा गया। वह भी टीवी चैनल्स के सामने ताकि पर्याप्त प्रचार मिल सके। इसके अलावा यह भी सामने आया कि उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को मिले तकरीबन 2.5 करोड़ रुपयों को उन्होंने पीसीआरएफ ट्रस्ट के खाते में जमा कर लिया है। कोर कमेटी से ही जुड़े रहे स्वामी अग्निवेश ने पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर कार्यकर्ता हंगामा भी कर चुके हैं तथा जंतर मंतर पर हिसाब किताब को लेकर एक धरना भी उनके खिलाफ लगाया जा चुका है। जूते चप्पल तो खैर चल ही रहे हैं। काले झंडे और मारपीट भी अब इन गांधीवादियों की छत्रछाया में चल रही है।

लोग कहते हैं कि जब देश में आपातकाल लगा था तो लोकतंत्र समर्थकों पर डंडा चलाने के लिए मशहूर हुई देश की पहली महिला आईपीएस पर भी यात्रा टिकटों में घोटाले करने की बात सामने आ गई है। बहन जी वीरता मैडल दिखाकर जाती तो रियायती टिकट पर और आगे वालों से वसूलती पूरा हवाई टिकट। कथित भ्रष्ट नेता तो देश की जमीन पर ही घोटाले कर रहे हैं मगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे योद्धा तो आसमान की हवा में ही घोटाले कर रहे हैं। मामला एक समाचार पत्र के जरिए सामने आया तब पहले तो किरण बेदी और उनके सहयोगी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि उन्होंने कुछ गलत किया है। शायद एनजीओ क्षेत्र में इस किस्म के यात्रा घोटाले आम बात होंगे इसलिए इस किस्म के भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है लेकिन जब ज्यादा हल्ला मचा तो कहा गया कि किरण बेदी ने यह पैसा अपने लिए उपयोग में नहीं लिया यह उनके परमार्थ के काम में गया है। फिर भी अगर यह गलत है तो इस राशि को संबंधित संस्थाओं को लौटा देंगी। कल यही काम

जारी

ए राजा और मधु कोड़ा कर दें और तमाम खाए हुए पैसे लौटा दें तो क्या उन्हें पाक साफ होने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। कैसे कैसे तर्क हैं, किस प्रकार से औचित्य सिद्ध करने का पाखंड किया जाता है। बावजूद इसके भी ये कोर कमेटी इस देश के सबसे नैतिक और ईमानदार और अभ्रष्ट लोगों की कमेटी है। इसे यह नैतिक बल हासिल है कि वह देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ चीखे चिल्लाए और आंदोलन चलाए, मगर देश की 120 करोड़ जनता, जिसके ये लोग स्वयंभू प्रवक्ता बने हुए हैं। उसके मन मस्तिष्क में यह मासूम सवाल रह रहकर कौंधता है कि यह कोर कमेटी है या चोर कमेटी? *(लेखक डायमंड इंडिया पत्रिका के संपादक और दलित, आदिवासी व घुमंतू समुदाय के मुद्दों पर राजस्थान में कार्यरत हैं)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 244 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 नवंबर 2011 से 12 दिसंबर 2011

बाल दिवस मना कर अपनी पीठ थपथपाना ही काफी नहीं

• मूल लेखः अनंत प्रिया सुब्रमण्यम •

जहां डेढ़ करोड़ बच्चे हर साल ऐसी बीमारियों से मरते हों जिनसे उन्हें बचाया जा सकता था। वहां केवल एक दिन बाल दिवस के आयोजन बस औपचारिकता ही है। बच्चे वोट बैंक नहीं तो क्या उनकी शिक्षा और जीवन का अधिकार राजनीतिक मुद्दे ही नहीं बनेंगे। ये जिम्मेदारी तो सरकारों की है जो उन्हें निभानी ही है। हर वर्ष 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्म दिन को बाल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। कभी यह नहीं सोच पाते कि हमारे बच्चों की आखिर हालत क्या है? क्यों कुपोषण है, क्यों बालश्रम है, क्यों घातक बीमारियां हैं। क्यों वे पढ़ने की उम्र में बड़े बन जाते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर गंभीर चिंतन व स्थितियों में परिवर्तन के लिए मजबूत व ठोस कदम नहीं उठाते हैं तब तक बाल दिवस एक औपचारिकता है।

एक सवाल मन में उठता है कि जिस देश में 5 वर्ष से कम उम्र के 1 करोड़ 50 लाख बच्चे हर वर्ष ऐसी बीमारियों से मरते हैं जिसे रोका जा सकता है तो क्या बाल दिवस मनाने लायक कुछ है? ऐसे में इस दिन आयोजनों के बजाए स्थितियों का आंकलन क्यों न हो? पिछले दिनों के अखबार व टीवी चैनलों पर गौर करें तो आए दिन ये समाचार आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बच्चे क्यों मर रहे हैं? एक के बाद एक टीवी चैनल इस बात पर आश्चर्यचकित हैं कि कलकत्ता के रेफरल अस्पतालों में बच्चे फर्श पर पड़े हैं? कपड़े वार्ड में टंक रहे हैं। माताएं बच्चों के साथ सो रही हैं। वार्ड गंदे हैं। क्या टेलीविजन पर आने वाले प्रमुख लोगों को इसकी जानकारी नहीं है? यह सवाल महत्वपूर्ण है।

भारत में हर 20 सेकंड में पांच साल से कम उम्र के एक बच्चे की मौत होती है। 5 साल से कम उम्र के लगभग 1 करोड़ 70 लाख बच्चे हर वर्ष भारत में मरते हैं। यह एक ऐसा शांतिपूर्ण हादसा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि इन मौतों को रोका जा सकता था क्योंकि ये साफ पानी, सफाई आदि से जुड़ी मौते थीं। समुदाय में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए कि वे डायरिया व निमोनिया के लक्षणों को पहचान सकें तो इससे ही हजारों बच्चों की जान बचाई जा सकती है। सरकार पूरे जीडीपी का सिर्फ 1.04 प्रतिशत धन स्वास्थ्य पर खर्च करती है जबकि यह समस्या इतनी गंभीर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 70 प्रतिशत भारतीय अपनी आय का अधिकांश भाग बीमारी व दवाइयों पर खर्च करते हैं। अब योजना आयोग ने कहा है कि वर्ष 2017 तक जीडीपी का 2.5 प्रतिशत खर्च स्वास्थ्य सेवाओं पर किया जाएगा। इसमें भी ज्यादा राशि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होगी। जो कुछ हुआ है उसके लिए मीडिया को दोषी नहीं माना जा सकता। अगर मीडिया इतना ध्यान आकर्षित नहीं करता तो मौतों का सिलसिला अभी भी नहीं ठहरता। नागरिक समाज ने इस पर अपने गुस्से का इजहार किया है। इसे सीधे सीधे हत्या कहा है परंतु आश्चर्य तो इस पर है कि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। न तो महिला बाल विकास मंत्रालय और न ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस विषय पर कोई तवज्जो दी।

हम वर्षों से बिना टॉयलेट के, गरीबी और कुपोषण के साथ जी रहे हैं। ये किसी को राजनीतिक मुद्दे ही नहीं लगते हैं। बच्चे वोट बैंक नहीं हैं। शायद यही कारण है कि उनकी मौत राजनीतिक मुद्दा नहीं है, विकास का एक आंकड़ा मात्र है। इसी तरह राज्य सरकार का दूसरा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बाल श्रम को लेकर है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे जिस तरह श्रमिक बने हैं वह भारत के लिए अत्यंत शर्मनाक है। लगभग 4 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं और इस पर नीति निर्माताओं की प्रतिक्रिया अत्यंत निंदनीय है। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने अभी हाल ही में एक वक्तव्य दिया जिसमें कहा गया कि गलीचा बनाने का जो काम उत्तरप्रदेश व कश्मीर में है उस परंपरा व परंपरागत उद्योग को बचाने के लिए बच्चों को यह कौशल सिखाना होगा। जो बच्चे यह कौशल सीख रहे हैं उन्हें बाल श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे बाहर काम नहीं कर रहे हैं। वे अपने घर पर ही काम कर रहे हैं। माता पिता अनावश्यक रूप से उन्हें काम पर नहीं लगाते हैं परंतु आर्थिक परिस्थितियों के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है।

श्रम विभाग के पूर्व राज्य मंत्री हरीश रावत ने इस बात को सही ठहराया कि भारत विश्व श्रम संगठन के 182वें कंवेंशन पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है क्योंकि इससे बाल श्रमिकों को हटना पड़ता है। आज की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में गरीबी के कारण बच्चों को माता पिता के साथ काम करना पड़ता है। क्या गरीबी के कारण बच्चों को बाल श्रमिक या वैश्यावृत्ति में ढकेल देना चाहिए? क्या उनका बचपन उनसे छीन लेना चाहिए?

जारी

ये सब बेवजह के तर्क हैं जो राज्य अपनी जवाबदेही व जिम्मेदारी से बचने के लिए देते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बच्चों को स्कूल भेजने की है न कि कारखानों में। कई देशों ने बाल श्रम को सामाजिक के साथ राजनीतिक मुद्दा बनाया और इसे समाप्त करने का प्रयास किया। भारत में 40 करोड़ बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। इनको कुपोषण व बाल श्रम से बचाना व शिक्षा से जोड़ना महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस कारण बाल दिवस मनाने के बजाए आत्म चिंतन करना चाहिए कि बच्चों का बचपन व उनके अधिकारों को बचाने के लिए सिर्फ अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करना ही पर्याप्त नहीं है। सरकारों को अपनी मानवीय प्रतिबद्धता को भी स्थापित करना होगा। आखिरकार वे हमारी भावी पीढ़ी हैं। *(अनुवादः रेणुका पामेचा)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 244 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 नवंबर 2011 से 12 दिसंबर 2011

खूबियां और खामियां, आशा और निराशा जगाती तस्वीर

• भंवर मेघवंशी व मुकेश गोस्वामी •

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 (महानरेगा) को लागू हुए 6 वर्ष हो चुके हैं। लोगों के लंबे आंदोलन के बाद यह कानून बना तथा लागू हुआ। काम का अधिकार एक कानूनी हक बना। लोगों को अपने ही गांव में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, 15 दिन में रोजगार पाने का हक, काम के लिए पंजीकरण व जॉब कार्ड प्राप्त करने का अधिकार तथा 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर काम पाने का हक मिला। कार्यस्थल पर छाया, पानी, क्रेश, दवाई, मजदूरी नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, काम के चयन, निगरानी रखने, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने तथा 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान प्राप्त करने का हक भी जनता को दिया गया। महानरेगा से संबंधित सारी सूचनाएं देखने का अधिकार भी आम जनता को दिया गया।

प्रारंभिक वर्ष में 40 हजार करोड़ की धन राशि देशभर में महानरेगा कार्यों के लिए तय की गई तथा कहा गया कि महानरेगा एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानून है। यह कोई योजना नहीं बल्कि अधिनियम है। यह गांवों का कायाकल्प कर देगा और हमारे गांव खुशहाल होंगे। निश्चित रूप से अब वक्त आ चुका है, जहां पर ग्रामीण विकास के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसकी खूबियों और खामियों की चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले हम महानरेगा आने के बाद हुए सकारात्मक बदलावों की चर्चा करेंगे।

पलायन रुका: महानरेगा आने से पहले गांवों से मजदूर अपने परिवार सहित काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाते थे। अब मजदूरी के लिए पलायन में काफी कमी आंकी जा रही है। यह देखने में आया है कि अब औरतें और बच्चे गांव में ही रह जाते हैं। अधिकांश महिलाएं महानरेगा में काम पर जाती हैं, ऐसे में बच्चों का विद्यालय जाना बाधित नहीं होता है। इस प्रकार काम का अधिकार बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कारगर साबित हो रहा है। शहरों में गांवों से पलायन करके आने वाले मजदूरों का दबाव भी कम हो रहा है। यह शहरी क्षेत्र में झुग्गी क्षेत्रों के विस्तार को भी रोक रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मौजूदगी को भी बढ़ा रहा है।

राजस्थान में अप्रेल 2008 से मार्च 2011 तक के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि खर्च निरंतर घट रहा है। वर्ष 2008–09 में 6175 करोड़ खर्च किए गए। वर्ष 2009–10 में 5669 करोड़ था जो कि घटकर 2010–11 में 3300 करोड़ रह गया। इसी प्रकार औसत मजदूरी भी क्रमशः 89, 87 तथा 75 रुपए हो गई है और औसत रोजगार दिवस भी क्रमशः 76, 69 से 52 मानव दिवसों पर सिमट गए हैं जो गंभीर बात है।

मजदूरी बढ़ी: महानरेगा ने सबसे बड़ा काम यह किया कि मजदूरों की बाजार में मजदूरी दरें बढ़ाई हैं। खेतीहर मजदूर, ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर, निर्माण कार्य में लगे मजदूर तथा अन्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी दरों में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। उनके काम के घंटे भी कम हुए हैं तथा कई मजदूरों ने जोखिम के कामों में जाने से भी अपने आपको रोका है। यह पहली बार हुआ है कि आज मजदूर अपनी मर्जी का मालिक है तथा वह बाजार में मजदूरी की दरें तय करने में सक्षम हो रहा है। यह अपने आप में अच्छा संकेत माना जा रहा है।

बंधुआ मजदूर मुक्त हुए: आंध्रप्रदेश तथा राजस्थान के कुछ हिस्सों में महानरेगा के कारण दशकों से बंधुआ मजदूरी के दुश्चक्र में फंसे आदिवासी मजदूरों की मुक्ति के उदाहरण भी हमारे सामने हैं। राजस्थान के बारां जिले में आदिम जनजाति सहरिया समुदाय के 67 बंधुआ मजदूर बंधुआ मजदूरी छोड़कर आजाद हो गए हैं क्योंकि अब उन्हें महानरेगा में काम मिल रहा है। इस क्षेत्र में 200 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। बारां क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता मोतीलाल ने बताया कि शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक के तकरीबन 161 बंधुआ मजदूर हमने चिहिंत किए । इनमें से 67 मुक्त हो गए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन से मुक्ति का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। शेष के प्रकरण संबंधित उपखंड अधिकारियों के पास लंबित है। उन्होंने कहा कि यह महानरेगा का ही कमाल है कि बंधुआ श्रमिकों में आजाद होने का ख्याल और हौसला आ पाया है।

महिलाएं हुईं सशक्त: प्रदेश में महिलाओं के लिए महानरेगा एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। आज राजस्थान में महानरेगा के कामों में 90 प्रतिशत महिलाएं ही बतौर श्रमिक नियोजित हैं। उनके बैंकों में खाते खोले गए हैं। वे बैंकों की

जारी

कार्यप्रणाली से वाकिफ हो रही हैं, उनके खातों में हजारों रुपए जा रहे हैं। यह पैसा उनके हाथों तक पहुंचता हैं जिससे वे अपने लिए कपड़े, दवाइयां, खाने की सामग्री तथा जेवर तक खरीद रही हैं। महिलाएं समूह के रूप में कार्यस्थल तक जाती हैं, काम करती है और साथ बैठकर खाना खाती है। इनके जातीय विद्वेष में भी कमी आई हैं, पितृसत्ता का वर्चस्व भी टूटा है। राजस्थान के राजसमंद जिले की विजयपुरा पंचायत में तो महिलाएं मिस्त्री बन गई हैं तथा वे पक्की चुनाई का काम भी कर रही हैं, यह निर्माण कार्यों में पुरुष वर्चस्व को तोड़ने का सबसे सुंदर उदाहरण है। इस प्रकार महानरेगा ने महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

भू–जल स्तर बढ़ा : महानरेगा कार्यों की उपयोगिता व अनुपयोगिता को लेकर काफी बहस की जाती रही है। अक्सर यह कहा जाता है कि महानरेगा के कच्चे काम अनुपयोगी है। यह मिट्टी के गढ्डे खोदने व भरने का काम है। इससे पैसे की बर्बादी हो रही है लेकिन हकीकत इससे अलहदा है। विगत पांच वर्षों में महानरेगा के तहत अधिकांशतः भूमि सुधार व जल संरक्षण के काम हुए हैं। एनीकट्स व चैकडेम बने हैं, जिससे पानी रुका है। तालाबों की मरम्मत हुई हैं, पेड़ लगाए गए हैं, पानी रोकने के ढांचे बने हैं जिनके चलते कुंओं, बावड़ियों तथा हैंडपंपों तथा ट्यूबवैलों के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जलसंकट से जूझते गांवों के लिए यह वरदान की तरह है। इसी तरह महानरेगा में हुए खेतों के सुधार कार्यों के कारण वर्षों से पड़त व असिंचित के रूप में पड़ी हुई बंजर कृषि भूमियों पर भी फसलें लहलहाने लगी हैं, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा है और गांवों में खुशहाली आई है।

श्रेणी–4 के काम और सामाजिक परिवर्तनः महानरेगा का एक और क्रांतिकारी काम गांवों के सामाजिक ढांचे में शांतिपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। इससे पहले तक गांवों में पटेलों व जागीरदारों के खेतों में दलित व आदिवासी केवल भोजन के बदले अथवा अत्यंत कम मजदूरी में काम करते थे, मगर महानरेगा के श्रेणी–4 के तहत अजा जजा वर्ग के खेतों में करवाए जाने वाले व्यक्तिगत लाभ के कामों के कारण आज सरकारी खर्च पर दलित व आदिवासियों के खेतों में सामान्य वर्ग के लोग काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि महानरेगा ने छुआछूत और भेदभाव जैसे कुप्रथा पर भी प्रहार किया है। महानरेगा में पानी पिलाने के काम में दलित व आदिवासी महिलाएं नियोजित किए जाने से उनके हाथ से सभी वर्ग की औरतें पानी पी रही हैं। महानरेगा ने लोकतंत्र के सबसे बुनियादी ढांचे पंचायतीराज को भी मजबूत किया है। महानरेगा से पहले औसतन एक पंचायत को 5 से 10 लाख रुपए तक की राशि विभिन्न मदों में खर्च हेतु मिलती थी। इसमें सांसद व विधायक द्वारा दी जाने वाली निधी भी शामिल थी। इसके लिए एमएलए/एमपी की जी–हजूरी करनी पड़ती थी मगर आज हरेक पंचायत में तकरीबन 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं, जिससे ग्रामसभा अपनी मर्जी के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में विकास करवा सकती है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महानरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। प्रदेश में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री भरतसिंह के मजबूत प्रयासों तथा सूचना व रोजगार के अधिकार अभियान के संघर्ष से दीवार लेखन के जरिए पारदर्शिता लाने, जिला स्तर पर नरेगा की शिकायतों के निवारण हेतु हेल्पलाइन स्थापित करने तथा राज्य स्तर पर प्रत्येक माह नरेगा संवाद करके महानरेगा की व्यवस्थाओं को भी ठीक किया गया है।

मगर खामियां भी हैं: महानरेगा का नकारात्मक पक्ष भी सामने आ रहा है। राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव में आज तक समूह के आधार पर नाप कर काम देना व नाप कर काम लेने की व्यवस्था नहीं बैठ पाई। मजदूरों ने 'न्यारी नपती–न्यारी रेट, पूरी नपती–पूरी रेट' का नारा दिया। काम भी करके दिखाया लेकिन आज भी मजदूर के काम की नपती करने तथा उसके आधार पर समय पर भुगतान को सुनिश्चित कराने में सरकार असफल रही है। महानरेगा में भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ रहा है। हालांकि जनता की जागरूकता और सूचना का अधिकार के कारण मस्टररोल में फर्जी हाजरियां नहीं भरी जा रही हैं लेकिन सामग्री खरीद में घपले तथा फर्जी कामों की शिकायतें बदस्तूर जारी हैं। गांवों में एक 'ग्रामीण विकास माफिया' उभर गया है जो सामाजिक अंकेक्षण जैसी प्रक्रियाओं के विरोध में खड़ा हो गया है। आज भी विभिन्न राज्यों में राज्य की न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी जा रही है जैसा कि राजस्थान में राज्य की न्यूनतम मजदूरी 135 रुपए है जबकि महानरेगा में 119 रुपए मजदूरी दी जा रही है। हालांकि हाल ही में मौजूदा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य की न्यूनतम मजदूरी देने के निर्णय को लागू करने की बात कही है। महानरेगा की बड़ी धनराशि के मद्देनजर पंचायतीराज के चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं जिससे आम आदमी पंचायतीराज के चुनाव ही नहीं लड़ पाने की स्थिति में आ गया है। यह कुछ दिक्कते हैं जो महानरेगा जैसे विशाल, व्यापक और क्रांतिकारी व कल्याणकारी कार्यक्रम को कमजोर कर रही है। खैर, खूबियों व खामियों के बावजूद आज महानरेगा ग्रामीण भारत की जीवन रेखा बन चुका है। इसे ईमानदारी से लागू किया जाए तो यह भूख और बेरोजगारी तथा नक्सलवाद और असमानता जैसी समस्याओं के विरुद्ध एक मजबूत हथियार के रूप में काम कर सकता है। *(लेखक सूचना एवं रोजगार के अधिकार अभियान राजस्थान से जुड़े हुए हैं)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 244 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 नवंबर 2011 से 12 दिसंबर 2011

खबरें संक्षेप में

250 रुपए में एनओसी, 900 रुपए में नल कनेक्शन

• लखन सालवी •

सरकार बीपीएल परिवारों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में जल सप्लाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं गांव के विकास की धूरी कही जाने वाली ग्राम पंचायत द्वारा बीपीएल परिवारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। भीलवाड़ा जिले की कोशीथल ग्राम पंचायत द्वारा नल कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के बदले लोगों से 250 रुपए की राशि वसूली जा रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ली गई सूचनाओं से यह खुलासा हुआ है।

कोशीथल के नारायण लाल तेली ने 21 सितंबर 2011 को सूचना का अधिकार के तहत आवेदन करते हुए ग्राम पंचायत से जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों के संबंध में सूचनाएं मांगीं। ग्राम पंचायत से मिली सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा हर वर्ग के व्यक्तियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 250 रुपए की राशि वसूली गई है। उल्लेखनीय है नल कनेक्शन करवाने के लिए ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना जलदाय विभाग द्वारा आवेदक को नल कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। नियमानुसार ग्राम पंचायत 20 रुपए की शुल्क अदायगी पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम सचिव सम्पत बोहरा अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए 250 रुपए की वसूली करता है। यह राशि नहीं देने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है जबकि जलदाय विभाग द्वारा 301 रुपए की फीस पर नल कनेक्शन मुहैया करवाया जाता है। जनवरी 2007 से अगस्त 2011 तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बदले ग्राम पंचायत ने कोशीथल के 46 लोगों से 11,500 रुपए वसूले हैं। इनमें से 16 लोग अनुसूचित जाति के हैं तथा 7 बीपीएल परिवार के हैं। इनमें से भी 3 बीपीएल परिवार दलित हैं। बीपीएल परिवार के देवीलाल रेगर, जयचंद रेगर, कस्तुर सालवी, हजारी रेगर, भंवर माली सहित कइयों से 250 रुपए लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए। नारायण तेली ने मांगी गई सूचना में यह भी जानना चाहा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के बदले 250 रुपए की राशि किस नियम व कानून के तहत वसूली गई ? जवाब में ग्राम सचिव ने ग्राम पंचायत के अपने अधिकार क्षेत्र के तहत यह राशि वसूलना बताया है।

गरीब व्यक्ति जैसे तैसे कर 250 रुपए ग्राम पंचायत में जमा करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लेता है। नल कनेक्शन के लिए जलदाय विभाग के अधिकारी फाइल के साथ नक्शे की मांग करते हैं। नक्शा विभाग के स्थानीय कर्मचारी द्वारा बनाया जाता है। कोशीथल में कर्मचारी नारू लाल भील नक्शा बनाकर देता है। नक्शा बनाने की कीमत 50 रुपए है। उसके बाद फाइल संविदाकर्मी उदयलाल के पास जाती है। संविदाकर्मी द्वारा प्रत्येक आवेदक से 850–900 रुपए लिए जाते हैं। तब ही फाइल आगे बढ़ती है और कनेक्शन हो पाता है। भंवर माली, जगदीश माली, नारायण लाल तेली, महावीर टेलर, हेमराज सोनी दर्जनों लोगों ने जलदाय विभाग के कर्मचारी नारू भील व उदय लाल को रुपए देकर कनेक्शन करवाए हैं। जिसने इस सिस्टम का विरोध किया वे कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं। हीरालाल जीनगर को नल कनेक्शन के लिए कई पापड़ बेलने पड़े। उन्होंने ग्राम पंचायत में एनओसी के बदले 250 रुपए नहीं दिए। जलदाय विभाग के कर्मचारियों को बिना पैसे दिए वे नल कनेक्शन करवाने में सफल रहे। इसके लिए उन्होंने जयपुर स्थित जलदाय विभाग की हेल्पलाइन पर खूब शिकायतें दर्ज करवाईं, तब कहीं जाकर नल कनेक्शन हो पाया। विकलांग असमल मोहम्मद छीपा नल कनेक्शन के लिए 2 माह से जलदाय विभाग के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया है। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 244 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 नवंबर 2011 से 12 दिसंबर 2011

खबरें संक्षेप में

शिक्षक जनगणना करेंगे तो पढ़ाई......

• रणजीत सिंह केसावत •

सरकार के लिए बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जनगणना जरूरी है। जाति आधारित जनगणना में उदयपुर जिले के 1800 सेकंड ग्रेड शिक्षकों और व्याख्याताओं को लगाया गया है जो 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक जनगणना करेंगे। इससे लगता है कि सरकार बच्चों की बोर्ड एवं अन्य परीक्षाओं को भूल गई है। एक दिसंबर से अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और विडंबना यह है कि बोर्ड कक्षाओं में 35 फीसदी तक कोर्स अधूरा है। इन शिक्षकों को अलग अलग ब्लॉकों में लगाया गया हैं जिसके कारण वे अपनी कक्षाओं में सेवा नहीं दे पाएंगे और स्कूलों में इनसे जुड़े विषयों का शिक्षण कार्य ठप्प रहेगा।

एक रिपोर्ट के मुताबिक जनगणना में 1550 शिक्षक सेकंड ग्रेड के जिन्हें प्रगणक के तौर पर लगाया गया है और बतौर सुपरवाइजर 250 से अधिक व्याख्याताओं को लगाया गया है। सेकंड ग्रेड शिक्षकों के चले जाने से 10वीं कक्षा और व्याख्याताओं के चले जाने से 12वीं कक्षा की पढ़ाई बिल्कुल ठप्प हो गई है जबकि बोर्ड कक्षाओं की तैयारी का यह सबसे अहम समय है। इस पर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने चिंता जताते हुए कहा कि जब कोर्स ही पूरा नहीं हो पाया तो अर्द्धवार्षिक परीक्षा में उनका क्या होगा? वे क्या लिख पाएंगे? निश्चित रूप से इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके सत्रांक पर भी पड़े बगैर नहीं रहेगा। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जनगणना में जिन शिक्षकों एवं व्याख्याताओं को लगाया है और उनके विषयों का कोर्स पूरा नहीं हुआ होगा तो अन्य शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के सहयोग से कोर्स पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। इस पर शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने रोष जताते हुए कहा कि अन्य विषय का शिक्षक या व्याख्याता अपने विषय के अलावा अन्य विषय को ठीक तरह से नहीं पढ़ा पाएगा एवं विद्यार्थियों को भी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि हर शिक्षक या व्याख्याता की अपनी अपनी शिक्षण शैली होती है। जिसके कारण अन्य विषय का शिक्षक दूसरी विषय को पढ़ाने में असमर्थ रहेगा या दिक्कत महसूस करेगा जिसका प्रतिकूल प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर ही पड़ेगा।

शिक्षक संगठन से जुड़े चंद्रप्रकाश मेहता, शेरसिंह चौहान एवं गोपालसिंह राव आदि ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगाने का सरकार का यह निर्णय गलत है। इस कार्य को अन्य एजेंसी द्वारा भी करवाया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई का कितना नुकसान होगा? सरकार को इसकी परवाह होनी चाहिए मगर इसकी परवाह नहीं करते हुए सरकार के लिए बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जनगणना जरूरी है। अभिभावकों एवं शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों तथा विद्यार्थियों ने सरकार से अनुरोध किया कि जातिगत जनगणना कार्य शिक्षकों से न करवाकर किसी अन्य एजेंसी से करवाया जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट नहीं हो। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 244 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 नवंबर 2011 से 12 दिसंबर 2011

खबरें संक्षेप में

टीबी के मामलों में आई कमी

• विविधा फीचर्स •

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 के बाद से टीबी के मामलों में कमी आई है। हालांकि टीबी का मामला बहुत चिंता का विषय है। वर्ष 2010 तक 90 लाख लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं। इस पर भी विश्व में टीबी के मरीजों में कमी आई हैं परंतु भारत का परिदृश्य बहुत ही खराब है। वर्ष 2010 में टीबी मामलों की पहचान का प्रतिशत 59 रहा। चीन ने इस दिशा में बहुत प्रगति की है। वहां वर्ष 2000 में 33 प्रतिशत पहचान 2006 में बढ़कर 74 प्रतिशत और वर्ष 2010 में यह 87 प्रतिशत हो गई। इस तरह चीन में मृत्युदर में 80 प्रतिशत की कमी आई है।

चीन की इस सफलता का मुख्य कारण यह है कि वहां टीबी की पहचान को वेबसाइट पर डाला गया है। ऐसा वर्ष 2005 से हो रहा है। इसमें पूरे स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया है। स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा यदि टीबी के कारण मृत्यु होती है तो सभी 31 प्रांतों में इसको रजिस्टर करवाना जरूरी है। इसके बिल्कुल विपरीत भारत में टीबी के मामलों की रिपोर्टिंग न होने का प्रतिशत 41 है। इसका कारण यह है कि आंकड़े सिर्फ सरकारी अस्पतालों के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं जबकि बहुत सारे मरीज प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। भारत में न तो सही आंकड़े हैं और न ही रिपोर्टिंग व्यवस्था सही है। इस कारण प्रभावशाली नीति बनाने में बहुत दिक्कतें हैं। बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर बीमारी की सही पहचान नहीं कर पाते हैं। कभी पहचान भी होती है तो पर्याप्त इलाज नहीं हो पाता। इस कारण हर तीन मिनट में 2 भारतीयों की इस बीमारी से मौत हो जाती है। सरकार को टीबी की बीमारी को गंभीरता से लेना होगा और उन देशों से सीखना होगा जो इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। **(विविधा फीचर्स)**